भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 523

दिनांक 26 फरवरी, 2016 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति

523. श्री रवीन्द्र कुमार जेनाः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति (एनपीईडब्ल्यू) को पर्याप्त रूप से कार्यान्वित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों, चल रहे प्रयासों और प्रस्तावित योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 का लक्ष्य महिलाओं को उन्नत करना, उनका विकास एवं सशक्तीकरण करना है । महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनेक विधायी एवं स्कीम संबंधी उपाय किए हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं से संबंधित अनेक विशिष्ट कानून जैसे कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध)अधिनियम, 1986; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किए हैं ।

निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं :

i. निराश्रित महिलाओं एवं विपदाग्रस्त महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए स्वाधार एवं अल्पावास गृह। इस समय देश में 25,000 लाभार्थियों को आश्रय एवं अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे 600 से अधिक स्वाधार गृह एवं अल्पावास गृह कार्यरत हैं ।
ii. अपने निवास स्थल से दूर कार्य कर रही कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए अभी तक 916 कामकाजी महिला होस्टल संस्वीकृत किए गए हैं ।
iii. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) के अंतर्गत 8,59,96 लाभार्थी शामिल किए गए हैं । यह स्कीम सीमांत एवं संपत्तिविहीन ग्रामीण एवं शहरी गरीब महिलाओं के लिए संपोषणीय रोजगार एवं आय अर्जन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है ।

iv. राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) ने वर्ष 1993 में अपनी स्थापना के समय से 7,35,239 महिलाओं को सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान की हैं ।

v. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं के चहुँमुखी विकास को बढ़ावा देने वाली समग्र प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए 24 राज्य महिला संसाधन केंद्र प्रचालन में हैं ।

vi. कामकाजी माताओं (एकल माता सहित) के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम के अंतर्गत 23,293 शिशुगृह कार्य कर रहे हैं जो 12 हजार रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखरेख सुविधाएं प्रदान करते हैं । इस स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष 5.8 लाख लाभार्थी शामिल किए जाते हैं ।

vii. सबला स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख किशोरियां लाभान्वित होती हैं । इस स्कीम का उद्देश्य 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों का विकास करना है ।

viii. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) स्कीम गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए गर्भवती एवं धात्री माताओं हेतु सशर्त मातृत्व लाभ के रूप में क्रियान्वित की जा रही है । शुरूआत में यह स्कीम समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के मंच का उपयोग करते हुए 53 चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की जा रही है ।

ix. हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता एवं मदद प्रदान करने के लिए वन स्टाप सेंटर और महिला हेल्पलाइन सर्वसुलभीकरण स्कीम क्रियान्वित की जा रही है ।

x. 100 चयनित जिलों में राष्ट्रीय अभियान और संकेंद्रित बहुक्षेत्रीय कार्रवाई के माध्यम से घटते हुए बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीम ।

*****